



हिंदी के विकास में महात्मा गांधीजी का योगदान



प्रा. राजेंद्र इंगोले

पूर्व अध्यक्ष, हिंदी विभाग
स.गा.म. कॉलेज, कराड

Email ID : rajendraingole9308@gmail.com

हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठापित करने का प्रयास जिन संस्थाओं तथा महानुभावों ने किया, उनमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी का नाम पूरे राष्ट्र में सम्मान के साथ लिया जाता है। हिंदी को स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जोड़कर समस्त देशवासियों में राष्ट्रप्रेम निर्माण करने का महत्त्वपूर्ण काम गांधीजी ने किया। आपने जनता में अपने विचारों का प्रचार करने के लिए हिंदी की वकालत की। हिंदी को जनता की आवाज और अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। हिंदी को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में परिणत किया। समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ संगठक, तथा लोकनेता के रूप में पूरे देश में हिंदी का प्रचार किया। वे जहाँ भी जाते, जिस आंदोलन का नेतृत्व करते वहाँ वे हिंदी के महत्त्व को स्पष्ट कर देते थे।

महात्मा गांधीजीने राष्ट्रभाषा हिंदी के पाँच प्रमुख लक्षणों की ओर संकेत किया है।

- राजकीय कार्मचारियों को प्रयोग के लिए वह सरल हो।
- पूरे भारत वर्ष में आपस के धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार सम्पन्न

हो।

- उस भाषा को देश की अधिकांश जनता समझ सके और बोल सके।
- वह भाषा पूरे राष्ट्र के लिए सरल हो।
- वह भाषा किसी क्षणिक या अल्पस्थायी स्थिति पर निर्भर न हो।

वे कहते हैं कि इन सभी कसौटियों पर हिंदी भाषा सही उत्तरती है। इसलिए हिंदी को राष्ट्र भाषा का गौरव मिलना ही चाहिए।

महात्मा गांधी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के साथ भी जुड़े हुए थे। इस समिति के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे और सदस्यों में महात्मा गांधी तथा अन्य विद्वान् थे। 'एक हृदय हो भारत जननी' समिति का घोषवाक्य था। 'एक राष्ट्रभाषा हिंदी हो, एक हृदय हो भारत जननी' का आग्रह महात्मा गांधीजी का था। इस समीति के माध्यम से तथा गांधीजी के मार्गदर्शन में राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार एवं प्रसार कर राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने का प्रयास किया गया।

अपने पूरे जीवन में अहिंसा का पूजारी बना यह महात्मा हमारे देश के पथप्रदर्शक बने। वे एक महान राजनेता, समाजसुधारक, अर्थवेत्ता, शिक्षाशास्त्री, चिंतक, संस्कृति रक्षक तथा धर्मोपदेशक थे। उनका यह बहुआयामी व्यक्तित्व मात्र हिंदी के लिए नहीं या मात्र भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए वरदान साबित हुआ। विभिन्न जातियों, धर्मों, सम्प्रदायों में बँटा हुआ भारत, विभिन्न बोलियों, भाषाओं का भारत एक पथ—प्रदर्शक के अभाव में भटक गया था। वह एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था, जहाँ वह कर्तव्य विमूढ़ की तरह व्यवहार कर रहा था। सदियों से परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ यह देश स्वतंत्रता के लिए छटापटा रहा था। ऐसी स्थिति में गांधीजी अहिंसक क्रान्ति के अग्रदूत बनकर अवतरित हुए। 'अहिंसा वीरों का अस्त्र है' यह उनकी मान्यता थी। अपनी इसी मान्यता को स्थापित करने के लिए वे हिंदी भाषा के माध्यम से विभिन्न आंदोलनों के द्वारा जनजागरण करते रहे। सत्य, अहिंसा और सेवा को वे मानव जीवन का परम कर्तव्य मानते रहे। इसलिए देशसेवा और राष्ट्रभाषा की सेवा का संकल्प गांधीजी ने किया और आजन्म इस संकल्प को वे निभाते रहे।

'राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गँगा है' यह गांधीजी का विचार था। राष्ट्र की उन्नति राष्ट्रभाषा के बिना संभव नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षण, स्वराज्य की प्राप्ती, स्वदेशी का व्रत इन सारी संकल्पनाओं को साकार करना हो तो सबसे पहले जरूरी है एक राष्ट्रभाषा का स्वीकार। इन सारी संकल्पनाओं को साकार करने के लिए पूरे देश की जनता को एक साथ जागृत करना जरूरी

था। एक साथ भिन्न भाषी प्रदेशों की जनता के साथ सम्पर्क करने की क्षमता मात्र हिंदी में थी। इन सारी बातों के मद्देनजर गांधीजी ने विभिन्न प्रसंगों पर राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए हिंदी में व्याख्यान देकर, लोगों के साथ हिंदी में बातचीत कर हिंदी के प्रचार—प्रसार में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। हिंदी को आखिल भारतीय और आंतर—प्रांतीय व्यवहार की भाषा के रूप में स्थापित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य गांधीजी ने ही किया।

हिंदी भाषा—भाषी प्रदेशों में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करना कोई विशेष कठिन काम नहीं था। दक्षिण में यह कार्य बहुत ही कठिन था। दक्षिण भारत में हिंदी का अस्तित्व नहीं के बराबर था। इसलिए गांधीजीने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार पर अधिक बल दिया। 'दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा' की स्थापना कर हिंदी प्रचार का प्रारंभ किया। इस सभा ने दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल, तेलगु, कन्नड और मलयालम भाषी प्रदेशों में सफलता के साथ हिंदी का प्रचार किया। इतना ही नहीं अपने पूत्र देवदास गांधी तथा अन्य अनुयायिओं की सहायता से हिंदी के प्रचार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन् 1918 के इंदोर साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधीजी ने दक्षिण के कुछ प्रमुख व्यक्तियों के साथ सम्पर्क स्थापित किया। उनके साथ पत्रव्यवहार किया। समाचार पत्रों के माध्यम से भी अपने विचार प्रकट किए। गांधीजी के इस कार्य का श्री राजगोपालाचारी ने पूरा समर्थन किया। गांधीजी के विचारों से प्रेरित होकर दक्षिण के कई युवकों ने उनके सामने हिंदी को पढ़ने की इच्छा व्यक्त की। आगे चलकर गांधीजी सन् 1926 में 'दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा' नामक संस्था के अध्यक्ष के रूप में आजीवन सेवा करते रहे।

महात्मा गांधीजी के विचारों से प्रेरित होकर हिंदी पढ़नेवाले युवाओं की संख्या बढ़ रही थी। गांधीजी के पूत्र देवदासजी तथा स्वामी सत्यदेव आदि ने दक्षिण भारत में कई हिंदी पढ़ानेवाले कार्यकर्ता तैयार किए। इन्हीं कार्यकर्ताओं ने गांधीजी के रचनात्मक कार्य से प्रेरणा लेकर स्वयं हिंदी का प्रचार प्रारंभ किया। सेठ जमनालाल बजाज जैसे हिंदी प्रेमियों ने धन की कमी को पूरा किया। लेकिन आगे चलकर गांधीजीने सुझाव दिया कि दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार करने के लिए धन यहीं से लगना जरुरी है। उनके इस सुझाव पर वहीं से हिंदी प्रचार के लिए धन मिलने लगा।

"भारत का हजारों वर्षों का इतिहास साक्षी है कि कोई भी विदेशी भाषा जन मानस की भाषा नहीं हो सकती, अंग्रजी न तो कभी रही और न रहेगी। फिर इसके द्वारा भारत के धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवहार के निभने का सवाल ही नहीं उठता। भारतीय भाषाओं के बीच हिंदी ही इस उत्तरदायित्व का निर्वाह बहुत दिनों से करती चली आई

है और आज भी ऐसी क्षमता उसी में है। उसमें अखिल भारतीय व्यापकता है और सरलता भी।’’¹

यही कारण है कि गांधीजी द्वारा केवल हिंदी की वकालत ही नहीं की गई, बल्कि उसका प्रचार और प्रसार भी किया गया। इनके ही अथक प्रयासों के कारण हिंदी भाषा का निर्माण राष्ट्रभाषा के योग्य हुआ। गांधीजी का मानना था कि देश की एकता के लिए एक भाषा का होना जितना आवश्यक है, उससे अधिक आवश्यक है कि वह भाषा पूरे देश के लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम निर्माण करे। और यह क्षमता मात्र हिंदी में ही है। उसमें जो सरलता और व्यापकता है, वह अन्य किसी भाषा में नहीं है। गांधीजी के इन्ही प्रयासों के कारण तथा उनके जन मानस पर निर्माण व्यापक प्रभाव के कारण कांग्रेस ने भी हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया और साथ साथ राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठापित करने की भूमिका तैयार की।

महात्मा गांधीजी के सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ स्वराज्य और स्वभाषा जैसे राष्ट्रीय प्रश्नों के कारण हुआ। वे हंस जैसे क्षीर-नीर विवेकी बनकर राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते रहे। राष्ट्र निर्माण में सबसे अधिक आवश्यकता होती है पूरे देश की मानसिक एकता की। और यह मानसिक एकता निर्माण करने की क्षमता मात्र हिंदी में है, इस स्थितिसे गांधीजी परिचित थे। यही कारण है कि उन्होंने जन जन को एक दूसरे से जोड़ने के लिए हिंदी का आधार लिया। वे जानते थे कि हिंदी के रास्तेपर मानसिक अवरोध बहुत बड़ा है।

‘‘जो व्यक्ति अथवा संस्था ‘‘यदि’’ तथा ‘‘जब तक’’ शब्दों के जाल में फँसे रहे वे राजभाषा हिंदी का मार्ग प्रशस्त करने में अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सके। राजभाषा हिंदी की अभिवृद्धि चाहनेवाले व्यक्ति कुछ वर्षों के लिए यदि यह मान लेते कि शब्दकोशों में उपर्युक्त शब्दों का अस्तित्व है ही नहीं और सीमित साधनों तथा विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ रह कर कार्य करते रहने की बात सोचते तो वे काफी बढ़ गए होते।’’²

दुर्भाग्यवश देश में कई व्यक्ति तथा संस्थाओं की मानसिकता हिंदी के लिए अनुकूल नहीं थी। अतः आजादी से पहलेवाली यह मानसिकता आज भी अपना अस्तित्व दिखा रही है। जिस समय पूरा देश महात्मा गांधीजी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ रहा था उस समय देश के कई लोग और संस्था अंग्रेजी के प्रभाव में आकर उसे अपने देश की राष्ट्रभाषा बनाने का सपना देख रहे थे। किन्तु राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर गांधीजी की राय साफ थी। उनकी दृष्टि केवल हिंदी पर ही टिकी हुई थी। वे स्वभाषा को स्वदेश के साथ जोड़कर देखते थे। इनके अनुसार

स्वभाषा और स्वदेश को एक दूसरे से अलग किया नहीं जा सकता। वे स्वभाषा प्रेम को स्वदेश प्रेम का अभिन्न अंग मानते थे। गांधीजीने राष्ट्रभाषा के जो लक्षण बताए वे राजभाषा की दृष्टिसे भी महत्त्वपूर्ण थे। वास्तव में उनकी दृष्टि में राष्ट्रभाषा और राजभाषा में कोई विशेष अंतर नहीं है। ‘कारण यह कि भारत की अखंड राष्ट्रीयता और भावनात्मक एकता की सहज अनुभूति ने उनकी दृष्टि में ऐसी व्यापकता ला दी थी जिसके सुरम्य परिवेश में पहुँचकर राष्ट्रभाषा और राजभाषा का संश्लिष्ट चित्र ही देखा जा सकता है, उन्हें अलग—अलग देखना नामुमकीन है।’³

गांधीजी की राय में स्वभाषा स्वदेशाभिमान का आधारभूत तत्व है। पूरे भारतीयों में देशप्रेम निर्माण करने की क्षमता मात्र हिंदी में है। इसलिए उसे सीखना जरुरी है। कई सभाओं, परिषदों, आंदोलनों, सम्मेलनों में गांधीजीने यह बात बार बार रखी। उनका विश्वास था कि पूरे देश को एक साथ बाँधकर रखनेकी क्षमता केवल हिंदी में है। गांधीजी के अनन्य हिंदी प्रेम के कारण ही उनके सम्पर्क में आनेवाली हर व्यक्ति तथा संस्था ने हिंदी के प्रचार—प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन् 1917 में ‘गुजरात शिक्षा परिषद’ के अधिवेशन में गांधीजीने हिंदी की महत्ता का प्रतिपादन किया। सन् 1918 में इंदोर के ‘हिंदी साहित्य सम्मेलन’ के आठवें अधिवेशन में हिंदी के प्रति देश वासियों को उनके कर्तव्य से परिचित किया। गांधीजीने कहा, “आप हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का गौरव प्रदान करें। हिंदी सब समझते हैं। इसे राष्ट्रभाषा बनाकर हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए।”

गांधीजीने सन् 1935 में इंदौर में ही संमन्न हिंदी साहित्य सम्मेलन के 24 वे अधिवेशन में अपने अभिभाषण में राष्ट्रीय एवं व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से हिंदी के महत्त्व को रेखांकित किया। इस दौरान गांधीजीने यह भी कहा कि, ‘हमें किसी भी प्रान्तीय भाषा को मिटाना नहीं है। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि विभिन्न प्रान्त अपने पारस्पारिक सम्बन्धों के लिए तथा आदान—प्रदान के लिए हिंदी का ही प्रयोग करें। अन्य प्रान्तों को यह बात स्वीकारनी पड़ेगी।’ महात्मा गांधी सन् 1915 में अफ्रीका से भारत आए। यहाँ आते ही उन्होंने सामाजिक काम करना प्रारम्भ किया।

‘महात्मा गांधी ने अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए अनेक संस्थाओं की स्थापना की थी जैसे गांधी सेवा संघ, चरखा संघ, हरिजन सेवक संघ तथा तालिमी संघ आदि। ये संस्थाएँ अपना कार्य हिंदी में करती थी। इससे हिंदी को देशव्यापी भाषा बनने का सौभाग्य मिला। राष्ट्रीयता की दृष्टि से हिंदी साध्य और साधन दोनों ही थी।’⁴

गांधीजी ने स्वभाषा से ही देशप्रेम की प्रेरणा पूरे देश को दी। गांधीजी के विचारों और हिंदी प्रेम से प्रेरणा लेकर देश के कई संतों, सुधारकों, मनीषियों तथा राजनेताओं ने अपने विचारों का

प्रचार एवं प्रसार करने के लिए हिंदी का ही आधार लिया। भारतीय समाज में नवचेतना निर्माण करने का सफल प्रयास किया गया। गांधीजी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन अपनी चरण सीमा पर पहुँचा। उनका विश्वास था कि हिंदी भाषा के माध्यम से ही जनता को संघटित किया जा सकता है और उनमें आत्मविश्वास निर्माण किया जा सकता है। लोगों की प्राणशक्ती उनकी भाषा में ही होती है।

निष्कर्ष – निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गांधीजी की दृष्टि में पूरे भारत वर्ष के लिए सम्पर्क भाषा की शक्ति मात्र हिंदी में ही निहित थी। उन्होंने अपने भाषणों, पत्र-पत्रिकाओं, छोटी-बड़ी संस्थाओं, सभा-सम्मेलनों के माध्यम से आजीवन हिंदी और देश की सेवा की। पूरे देश को स्वभाषा से प्रेम करने की प्रेरणा दी। उनका हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने का सुझाव राष्ट्र के लिए उपकारक साबित हुआ। वे हिंदी को राष्ट्रीय एकता तथा स्वाधीनता के लिए परम आवश्यक साधन मानते थे।

संदर्भ –

1. राजभाषा के संदर्भ में हिन्दी आन्दोलन का इतिहास
 - उदय नारायण दुबे, प्रथम संस्करण, 1979, पृ. 155
2. राजभाषा हिंदी संघर्षों के बीच
 - हरिबाबू कंसल, प्रथम संस्करण 1991, पृ. 179–180
3. राजभाषा के संदर्भ में हिन्दी आन्दोलन का इतिहास
 - उदय नारायण दुबे, प्रथम संस्करण, पृ. 155–156
4. हिन्दी राष्ट्रभाषा से विश्वभाषा की और
 - सं. डॉ. सुरेश माहेश्वरी, प्रथम संस्करण, 1998, पृ. 69